

# कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला-धमतरी (छ.ग.)

क्रमांक/आब/ठेका/2017/

धमतरी, दिनांक 5/04/2017

// निविदा //

विषय :- धमतरी जिले की 19 देशी मदिरा दुकान एवं 09 विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के संबंध में ।

.....0.....

धमतरी जिले में स्थित निम्नलिखित 19 देशी मदिरा दुकान एवं 09 विदेशी मदिरा दुकानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत करें

- (1) देशी मदिरा दुकान :- (1) सुन्दरगंज, (2) बठेनावार्ड (3) आमदी (4) छाती (5) कुरुद (6) मगरलोड (7) बोरसी (8) नगरी (9) सिहावा (10) नवागांव वाई (11) नहरनाका (12) हटकेशर (13) दानीटोला (14) धमतरी मेन (14) नारी (15) सोरम (16) गोकुलपुर (17) रावां (18) भखारा
- (2) विदेशी मदिरा दुकान :- (1) सुन्दरगंज (2) आमदी (3) छाती (4) कुरुद (5) मगरलोड (6) नगरी (7) दानीटोला (8) धमतरी मेन (9) भखारा

// निविदा शर्तें //

1. प्रत्येक मदिरा दुकान में 06 सी.सी.टी.वी. कैमरे की आवश्यकता है, जिसमें एक बुलट कैमरा भी शामिल है। 8 पोर्ट एन.वी.आर. लगाना है। इस प्रकार 28 मदिरा दुकानों हेतु 168 सी.सी.टी.वी. कैमरे और 28 एन.वी.आर. की आवश्यकता है।
2. सी.सी.टी.वी. कैमरे IP Camera with 2 mp resolution Night Vision होना चाहिये।
3. Network video recorder (2TB) Storage का होना चाहिये।
4. मदिरा दुकान हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने में उपयुक्त केबल अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिये।
5. सी.सी.टी.वी. फंक्शन इन्टरनेट वाई-फाई से कनेक्ट किये जाने योग्य नियत है।
6. सी.सी.टी.वी. कैमरे सफल निविदाकार एक वर्ष तक किसी भी सी.सी.टी.वी.फंक्शन यथा कैमरे डी.वी.आर या केबल इत्यादि में आयी तकनीकी खराबी को दूर करेगा व आवश्यकता पड़ने पर उपकरणों को बदलकर नया लगाएगा।
7. Analog कैमरे व DVR नहीं होना चाहिये।
8. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा।

निविदादाता तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत करेगा जिसमें निविदा खोलने के समय पहले तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदादाता को उसी समय सभी सामग्री का प्रदर्शन करना होगा। समिति की संतुष्टि के उपरांत वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि व समय की जानकारी संबंधित सफल निविदाकारों को पृथक से दी जावेगी। निविदा दिनांक 29.04.2017 को प्रातः 11.00 बजे तक ही स्वीकार्य की जावेगी तथा तकनीकी निविदा दिनांक 29.04.2017 को 12.00 बजे दोपहर में खोली जावेगी।

C.L.W. / 6/4  
कलेक्टर  
जिला-धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/सी.एस.एम.सी.एल./स्टोर/2017/554

धमतरी, दिनांक 6/03/2017

प्रतिलिपि :-

- (1) आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- (2) संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (3) जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी धमतरी की ओर निविदा अपलोड करने हेतु प्रेषित।

C.L.W. /  
कलेक्टर  
जिला-धमतरी (छ.ग.)